दूरभाष: 0141-2989581 फैक्स : 0141-2226134
E-mail : rd-rajasthan@esic.nic.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

चिंता से मुक्ति
आईपी–वीआईपी

क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

''पंचदीप भवन'', भवानी सिंह रोड़, जयपुर- 302001

नियोजक अशंदान अब 4.75% के स्थान पर 3.25% व कर्मचारी अशंदान 1.75% से घटकर 0.75% हुआ ।

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

उप क्षेत्रीय कार्यालय : कर्मचारी राज्य बीमा निगम
5, भूपालपुरा, शास्त्री सर्कल, आर.के.प्लाजा, उदयपुर–313001
दूरभाष : 0294–2418806, फैक्स : 0294–2419907
ई–मेल : sro-udaipur@esic.nic.in

उप क्षेत्रीय कार्यालय: कर्मचारी राज्य बीमा नि
1/3, 1/4, पाल लिंक रोड़, जोधपुर–3420
दूरभाष : 0291–2750003, फैक्स : 0291–27500
ई–मेल : sro-jodhpur@esic.nic

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतगर्त देय हितलाभ

क्रम संख्या	हितलाभ	हितलाभ व उनकी अंशदायी शर्तें	अवधि तथा हितलाभों की दरें
1.	क). बीमारी हितलाभ	सबंधित अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अशदान अदा किया हो।	लगातार दो हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक औसत दैनिक मजदूरी का 70 प्रतिशत।
	ख). वर्धित बीमारी हितलाभ	संबंधित अंशदान अवधि में कम–से–कम 78 दिनों का अंशदान अदा किया हो।	पुरुष नसबन्दी हेतु बीमाकृत व्यक्ति के लिए 7 दिन तथा महिला नलबन्दी के लिए बीमाकृत महिला के लिए 14 दिन, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। भुगतान की दर–औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत
	ग). विस्तारित बीमारी हितलाभ	34 विनिर्दिष्ट दीर्घकालीन बीमारियों के लिए दो वर्ष की अवधि का लगातार रोजगार तथा चार लगातार अंशदान अवधियों में 156 दिन का अंशदान।	124/309 दिनों तक वर्णित दीर्घकालिक रोग होने की स्थिति में जिसे चिकित्सकीय सलाह पर 2 वर्ष (730 दिन) तक बढ़ाया जा सकता है। दर–औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 80 प्रतिशत।
2.	निः शक्तता हितलाभ क). अस्थायी अपंगता हितलाभ	बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से, भले ही अंशदान अदा न भी किया गया हो।	निः शक्तता (दुर्घटना के दिन को छोड़कर) 3 दिन से कम समय में ठीक हो जाने पर, हितलाभ देय नहीं है। अन्यथा अस्थायी अपंगता समाप्त होने तक की पूर्ण अवधि के लिए देय। दर– औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 90 प्रतिशत
	ख). स्थायी अपंगता हितलाभ	बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से, भले ही अंशदान अदा न भी किया गया हो।	जीवनपर्यन्त, दर–कामगार की चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित अर्जन क्षमता की हानि के समानुपात औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 90 प्रतिशत । एकमुश्त परिवर्तनीय–यदि दैनिक दर हितलाभ रूपये 10/– तक अथवा परिवर्तित राशि रूपये 60,000/– से अधिक नहीं है ।
3.	आश्रितजन हितलाभ	रोजगार चोट के कारण मृत्यु होने पर बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से, भले ही कोई अंशदान अदा न किया हो।	बीमित की पत्नी को जीवनपर्यन्त या पुनर्विवाह तक तथा प्रत्येक वैध या दत्तक पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक एवं प्रत्येक वैध या दत्तक अविवाहित पुत्री को उसका विवाह होने तक। अशक्त बच्चे को अशक्तता बने रहने तक। आश्रित माता–पिता को जीवन पर्यन्त। दर–औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 90 प्रतिशत जो कि निर्धारित अनुपात में विभक्त किया जाएगा। न्यूनतम पेन्शन रूपये 1200/– प्रतिमाह
4.	आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने पर महिला (पत्नी) की चिकित्सा देखरेख	आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने वाली विधवा महिला को।	वार्षिक आधार पर आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने पर दिवंगत बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को रूपये 120/– के वार्षिक भुगतान पर कराबी चिकित्सा संस्थानों में प्राथमिक एवं द्वितीयक देखरेख (अतिविशिष्टता उपचार को छोड़कर)
5.	प्रसूति हितलाभ	दो लगातार पूर्ववर्ती अंशदान अवधियो में 70 दिन के लिए अंशदान की अदायगी	प्रथम दो प्रसवों के लिए 26 सप्ताह, तीसरे जीवित बच्चे ओर आगे के लिए 12 सप्ताह। गर्भपात के लिए 6 सप्ताह कमिशनिंग माता के लिए 12 सप्ताह दत्तक माता के लिए 12 सप्ताह। दर–औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत

6.	प्रसूति व्यय	जहां कराबी योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां बीमाकृत महिला अथवा बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी के संबंध में प्रसूति व्यय का भुगतान किया जाएगा।	दो प्रसूतियों तक। दर- रूपये 5000/- प्रति प्रसव।
7.	चिकित्सा हितलाभ	बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देख-रेख की पूरी सुविधाएं बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से ही है।	बीमारी या अपंगता समाप्त होने तक पूर्ण चिकित्सा देख रेख विशेषज्ञ मामले में खर्च की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्ति जो अधिवर्षिता की आयु पूरी करने से पहले कम से कम पांच वर्ष के लिए बीमा योग्य नियोजन में रहा हो तथा अपंग बीमाकृत व्यक्ति स्वयं तथा अपनी पत्नी के लिए केवल 120/- रूपये वार्षिक अंशदान देने पर चिकित्सा देख-रेख का हकदार है।
8	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता	प्रत्येक अंशदान अवधि में प्रदत्त/देय 78 दिनों के अंशदान के साथ अंतिम 2 वर्षो के लिए बीमा योग्य रोजगार। कारखाने/स्थापना के बंद होने, छंटनी या 40 प्रतिशत से अधिक गैर-रोजगार चोट के कारण हुई स्थायी निःशक्तता की अनैच्छिक बेरोजगारी।	पूर्ण बीमा योग्य रोजगार के दौरान 24 माह की अधिकतम अवधि के लिए। दरः-0-12 माह के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 50 प्रतिशत। 13-24 माह के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 25 प्रतिशत। कौशल उन्नयन हेतु 1 वर्ष तक का व्यावसायिक प्रशिक्षण।
9	अंत्येष्टि व्ययः	बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से।	बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर हुआ रूपये 15,000/- तक का व्यय।
10	नियम 60 के अंतर्गत व्यावसायिक पुनर्वास भत्ताः	आयु 45 वर्ष से अधिक न हो तथा रोजगार चोट की वजह से न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता रखता हो।	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र/संस्थान के प्रतिमानों के अनुरूप सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण। सामान्य दरों पर वाहन खर्च केन्द्र द्वारा प्रमाणित व्यय या रूपये 123/- प्रतिदिन, जो भी अधिक हो।
11	निःशक्त व्यक्तियों के नियोजन के लिए नियोक्ताओं की प्रोत्साहन योजना	मजदूरी की वेतन सीमा रूपये 25,000 तक पाने वाले निःशक्त व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिये उनके प्रारम्भिक 10 वर्षों के लिए नियोक्ता के अंशदान शेयर का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है तथा इस प्रकार नियोक्ता को क.रा.बी. अधिनियम के तहत व्याप्त कारखानों और स्थापनाओं में कार्यरत स्थाई रूप से निःशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में 10 वर्ष तक उनके अंशदान शेयर का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।	
12	बीमित के आश्रित को ईएसआई मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की सुविधा	प्रत्येक बीमित को 1 अक्टूबर, 2018 को आई. पी. होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यू.जी.) 2019 यू.जी. में योग्यता हांसिल करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के योग्य है। पात्रका की अन्य शर्तें ईएसआईसी की वेब साईट अर्थात www.esic.nic.in पर **एडमिशन लिंक** पर जाकर देखी जा सकती है।	

''अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना दिनांक 01-07-2018 से लागू''

नियोजक अपने संस्थान का पंजीयन करने हेतु www.esic.in देखें

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पी.एम.-एस.वाय.एम.) गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं प्रधानमंत्री व्यापारी मान धन पेंशन योजना की जानकारी के लिए निकटतम सी. एस. सी. पर सम्पर्क करें।

ई.एस.आई.सी. राजस्थान क्षेत्र एक नज़र (31 मार्च, 2019 के आंकड़ों के अनुसार)

योजना में शामिल नियोजक- 63010	चिकित्सालय- 7
योजना में कर्मचारियों की संख्या -1751660	शाखा कार्यालय- 24
योजना में बीमितों की संख्या- 1946700	औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (DCBO)- 2
योजना में लाभार्थियों की संख्या- 7553196	आईएमपी- 54
व्याप्त केन्द्रों की संख्या- संपूर्ण राजस्थान	सैकण्ड्री लेवल उपचार हेतु अनुबंधित अस्पताल-139
औषधालय- 74	अति विशेषज्ञ उपचार हेतु अनुबंधित अस्पताल- 66